न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल** (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 221 सन 2012
अनवान :–

1. अमरसिह पुत्र नारायण जाति जाट साकिन भगवानसर तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. रणजीत पुत्र बालूराम जाति जाट निवासी भगवानसर तहसील नोहर।
2. लालचंद पुत्र बालूराम जाति जाट निवासी भगवानसर तहसील नोहर।
3. मनीराम पुत्र बालूराम जाति जाट निवासी भगवानसर तहसील नोहर।

असल प्रतिवादीगण

4. रधुवीर पुत्र नारायण जाति जाट निवासी भगवानसर तहसील नोहर।
5. तीजा बेवा नारयण जाति जाट निवासी भगवानसर तहसील नोहर।
6. सरोज पत्नी रतीराम जाति जाट निवासी भगवानसर तहसील नोहर।
7. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरार हक स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत 88 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित : श्री मागेराम गोदारा अधिवक्ता वादी
श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता प्रति. 1 ता 3
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 03/06/2024

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183, 188 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की वादी एव प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 की खातेदारी भूमि रोही मौजा भगवानसर के खाता संख्या 138/102 के खसरा न0 239/4.06बीधा खसरा न0 298/2 की 7.10 बीधा , खसरा न0 301/2 की 18.13 बीधा , खसरा न0 382/2 की 13.16 बीधा , खसरा न0 383/2 की 15.13 बीधा, खसरा न0 471 की 16.05 बीधा, खसरा न0 585 की 2.01 बीधा खसरा न0 621/3 की 17.16 बीधा खरसा न0 623/2 की 11.05 बीधा खसरा न0 471/732 की 5.10 बीधा कुल 112.16 बीधा बारानी भूमि है।

वादी व प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 शान्तिप्रिय व्यक्ति है तथा पेशा खेती है कृषि कार्य व मजदुरी करते है अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करते है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 जो वादी के चिपते हुए पडोसी खातेदारी काश्तकार है झगढालु प्रवृति के व्यक्ति है हमेशा ही वादी के लडाई झगड़ा करते रहते है।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की भूमि वादी के चिपती हुई है तथा प्रतिवादीगण ने ही वादी के खेत के चिपते हुये अपने मकान बना रखे है तथा पिछले 2 वर्षो से धीर धीरे वादी की खातेदारी भूमि में घुसने की कोशिश करते हुये अपने मकान व बाडा व बटोडा आदि वादी की खातेदारी भूमि खसरा न0 585 की 2.01 बीधा में बना लिये है तथा जबरदस्ती खातेदारी भूमि पर अतिक्रमण कर लिया है जिसका वादी को संदेह होने पर दिनांक 29.05. 2012 को तहसीलदार नोहर के आदेश के तहत पटवारी हल्का गोरखाना हनुमानसिह से सीमाज्ञान करवाया गया तो उक्त सदेह सही पाया व पटवारी ने निशानदेही भी दे दी जिसके तहत खसरा न0 585 की 2.01 बीधा में से ... बीधा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का अतिक्रमण पाया गया पटवारी हल्का व उपस्थित अन्य गांव के मौजिज मान्य लोगो ने भी प्रतिवादीगण को उक्त अतिक्रमण हटाया बाबत कहा तो इन्कार हो गये इसलिये वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:47:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटा कर उक्त भूमि से बेदलख करवा पाने का अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 झगडालु व्यक्ति है तथा सगे भाई है एकराय होकर उक्त भूम पर स्थाई निर्माण कार्य करके भूमि की उर्वक शाक्ति को नष्ट करना चाहते है तथा वादी को उनके हको से महरूम करना चहते है प्रतिवादीगण उक्त भूमि व अन्य पास की भूमि पर कब्जा करने पर उतारू है यदि ऐसा होता है तो वादी को अपूर्णीय क्षति होती है इसलिये वादी प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवा पाने के अधिकारी है

वादी ने प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को काफी बार वादी को खसरा न0 585 की भूमि पर किये गये अतिक्रमण को हटाने बाबत कहा काफी बार पंचायती हुई की दिनांक 29.05.2012 को तहसीलदार नोहर के आदेश से सीमाज्ञान हुआ है की पालना कर अतिक्रमण की गई भूमि को छोड देवे तो इन्कार हो गये प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को सीमाज्ञान की पालना करवाने के लिये पाबन्द किया जाकर वादी की भूमि पर किये गये अतिक्रमण से प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को हटाने का अधिकारी है इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर रोही मौजा भगवानसर के खाता संख्या 138/102 के खसरा न0 585 की 2.01 बीधाा भूमि पर जबरिया किये गये कब्जा को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 से तुरन्त बेदखल किया जावे तथा वादी को कब्जा दिलवाया जावे एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की ववह सीमाज्ञान का पालन करे तथा निशानदेही से छेड छाड ना करे व वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 तरतीबी प्रतिवादीगण है जिसका वादी के साथ अनुतोष निहित है प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को अस्वीकार करते हुए जबाब पेश किया की

रोही मौजा भगवानसर के खाता संख्या 161/122 के खसरा न0 257/10.06 , खसरा न0 356/1 की 1 बिश्वा , खसरा न0 345/1 की 10.02 बीधा , खसरा न0 344/1 की 11.19 बीधा , खसरा न0 445 की 19.12 बीधा , खसरा न. 470/41 की 14.00 व खसरा न0 556/1 की 10.14 बीधा खसरा न0 583 की 16.00 बीधा कुल 105.14 बीधा भूमि स्थित है जिसके प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 खातेदार काश्तकार है इसी खाता की भूमि में मिन प्रतिवादीगण रिहायश करते आ रहे है यह मकानात आज से 20 वर्ष पूर्व बनाये गये थे उक्त मकानात केवल मिन प्रतिवादी की उपरोक्त भूमि जो प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि है पर निर्मित है वादीगण ने पटवारी हल्का से साज बाज कर एकतरफा तथा बिना किसी पडौसी के साक्ष्य तथा प्रतिवादीगण को बिना सुचना के रिपोर्ट तैया की है जो वादीगण को फायदा पहुचाने की गरज से तैयार की गई है वादीगण उक्त सीमाज्ञान की रिपोर्ट के आधार पर मिन प्रतिवादीगण को अपनी खातेदारी भूमि से बेदखल करवा पाने के अधिकारी नही है।

वाद वादीगण अंदर मियाद नही हे मिन प्रतिवादीगण के रिहायशी मकानात आज से करीब 20 वर्ष पूर्व के बने है वादीगण इससे पूर्व भी गावं में पंचायत की थी जिसमें मिन प्रतिवादीगण के खेत में ढाणी बनना पाया गया था वादीगण झगडालु व्यक्ति है जो मिन प्रतिवादीगण को तंग परेशान करने के लिये झगडा करता रहता है इसलिये 20 वर्ष पूर्व के रिहायश को मिथ्या सीमाज्ञान की रिपोर्ट की पालना में न्यायालय हाजा से वादी करवा पाने का अधिकारी नही है वादी वाद भूमि का किसी श्रेणी का टिनेन्ट नही है इसलिय वादी का वाद संधारण योग्य नही है

वादी ने पटवारी हल्का की एकपक्षीय रिपोर्ट के आधार पर बेदखली का वाद पेश किया गया है जबकि पटवारी हल्का ने रिपोर्ट तैयार करते समय या मौका देखते समय या सीमाज्ञान करते समय किसी प्रकार की सूचना नही दी गई ना ही पडोसी खातेदार काश्तकारों को सीमाज्ञान के समय बुलाया मनमाने ढंग से एक पक्षीय रिपोर्ट वादी के पक्ष में तैयार कर दी सीमाज्ञान रिपोर्ट पर पडोसी काश्तकारो एव प्रतिवादीगण के हस्ताक्षर भी नही है ना ही कोई फर्द मोका तैयार किया गया है पटवारी हल्का की रिपोर्ट जो एक पक्षीय तैयार की गई है को आधार मानकर प्रतिवादी का उसकी खातेदारी भूमि से बेदखल

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:47:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

नही किया जा सकता है पटवारी हल्का के सीमाज्ञान रिपोर्ट के आधार पर वादी किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है वादी का वाद खारिज फरमाया जावे।

वादी के वाद का प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने जबाब पेश करने पर वादी के वाद एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के जबाब दावा के आधार पर निम्नप्रकार से तनकी कायम की गई।

1. आया कि खाता संख्या 138/102 रोही मौजा भगवासर के खसरा न0 585 की 2.01 बीधा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के द्वारा जबरिया कब्जा किया गया है कब्जा से उसको बेदखल किया जावे।? वादी
2. आया वादी प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह जबरिया वादी की कृषि भूमि में दखलन्दाज नही करे तथा पूर्व में किये गये सीमाज्ञान की पालना करे ।? वादी
3. आया कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के द्वारा सीमाज्ञान की पालना नही करने के कारण उनके खिलाफ कानुनी कार्यवाही की जावे। ? वादी
4. आया कि विवादित भूमि पर प्रतिवादीगण के मकानात निर्माण किये हुए है तथा पटवारी हल्का से मिली भगत करके वादीगण को फायदा पहुचाने की नियत से बिना सूचना दिये उक्त पैमाईश हुई है जो गलत है।? प्रतिवादी संख्या 1 ता 3
5. आया कि वादी का वादा अन्दर मियाद नही है। प्रतिवादी
6. आया कि सीमाज्ञान की पालना का अधिकार न्यायालय हाजा को नही है दावा खारिज फरमाया जावे।
7. दादरसी

तनकी कायम करने के उपरान्त उभयपक्षों से साक्ष्य लिये गये वादी ने अपने साक्ष्य में अपना शपथ पत्र मुख्य परिक्षा पेश किया गया जिस पर जिरह प्रतिवादीगण ने की गई और साक्ष्य पेश नही करने के कारण साक्ष्यवादी बन्द की जाकर साक्ष्य प्रतिवादी लिये गये प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 ने साक्ष्य में प्रतिवादी रणजीत पुत्र बालुराम का शपथ पत्र मुख्य परिक्षा का पेश किया जिस पर जिरह वादी ने की गई व अन्य साक्ष्य में लादूराम पुत्र लाखूराम का शपथ पत्र पेश किया जिस पर जिरह वादी ने की गई ओर साक्ष्य प्रतिवादी ने नही करवाने पर साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की वादी एव प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 की खातेदारी भूमि रोही मौजा भगवानसर के खाता संख्या 138/102 के खसरा न0 239/4.06बीधा खसरा न0 298/2 की 7.10 बीधा , खसरा न0 301/2 की 18.13 बीधा , खसरा न0 382/2 की 13.16 बीधा , खसरा न0 383/2 की 15.13 बीधा, खसरा न0 471 की 16.05 बीधा, खसरा न0 585 की 2.01 बीधा खसरा न0 621/3 की 17.16 बीधा खरसा न0 623/2 की 11.05 बीधा खसरा न0 471/732 की 5.10 बीधा कुल 112.16 बीधा बारानी भूमि है।

वादी व प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 शान्तिप्रिय व्यक्ति है तथा पेशा खेती है कृषि कार्य व मजदुरी करते है अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करते है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 जो वादी के चिपते हुए पडोसी खातेदारी काश्तकार है झगढालु प्रवृति के व्यक्ति है हमेशा ही वादी के लडाई झगड़ा करते रहते है।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की भूमि वादी के चिपती हुई है तथा प्रतिवादीगण ने ही वादी के खेत के चिपते हुये अपने मकान बना रखे है तथा पिछले 2 वर्षो से घीर घीरे वादी की खातेदारी भूमि में घुसने की कोशिश करते हुये अपने मकान व बाडा व बटोडा आदि वादी की खातेदारी भूमि खसरा न0 585 की 2.01 बीधा में बना लिये है तथा जबरदस्ती खातेदारी भूमि पर अतिक्रमण कर लिया है वादी को संदेह होने पर दिनांक 29.05.2012 को तहसीलदार नोहर के आदेश से पटवारी हल्का गोरखाना हनुमानसिह से सीमाज्ञान करवाया गया तो उक्त संदेह सही निकला व पटवारी ने निशानदेही भी दे दी जिसके तहत खसरा न0 585 की 2.01 बीधा में लगभग 1 बीधा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का अतिक्रमण पाया गया पटवारी हल्का व उपस्थित अन्य गांव के गणमान्य लोगो ने भी प्रतिवादीगण को उक्त अतिक्रमण हटाया बाबत कहा तो इन्कार हो गये इसलिये वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:47:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटा कर उक्त भूमि से बेदलख करवा पाने का अधिकारी है

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर रोही मौजा भगवानसर के खाता संख्या 138/102 के खसरा न0 585 की 2.01 बीधाा भूमि पर जबरिया किये गये कब्जा को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 से तुरन्त बेदखल किया जावे तथा वादी को कब्जा दिलवाया जावे एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की ववह सीमाज्ञान का पालन करे तथा निशानदेही से छेड छाड ना करे व वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब दावा में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की रोही मौजा भगवानसर के खाता संख्या 161/122 के खसरा न0 257/10.06 , खसरा न0 356/1 की 1 बिश्वा , खसरा न0 345/1 की 10.02 बीधा , खसरा न0 344/1 की 11.19 बीधा , खसरा न0 445 की 19.12 बीधा , खसरा न. 470/41 की 14.00 व खसरा न0 556/1 की 10.14 बीधा खसरा न0 583 की 16.00 बीधा कुल 105.14 बीधा भूमि स्थित है जिसके प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 खातेदार काश्तकार है इसी खाता की भूमि में मिन प्रतिवादीगण रिहायश करते आ रहे है यह मकानात आज से 20 वर्ष पूर्व बनाये गये थे उक्त मकानात केवल मिन प्रतिवादी की उपरोक्त भूमि जो प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि है पर निर्मित है वादीगण ने पटवारी हल्का से साज बाज कर एकतरफा तथा बिना किसी पडौसी के साक्ष्य तथा प्रतिवादीगण को बिना सुचना के रिपोर्ट तैया की है जो वादीगण को फायदा पहुचाने की गरज से तैयार की गई है वादीगण उक्त सीमाज्ञान की रिपोर्ट के आधार पर मिन प्रतिवादीगण को अपनी खातेदारी भूमि से बेदखल करवा पाने के अधिकारी नही है।

वाद वादीगण अंदर मियाद नही हे मिन प्रतिवादीगण के रिहायशी मकानात आज से करीब 20 वर्ष पूर्व के बने है वादीगण इससे पूर्व भी गावं में पंचायत की थी जिसमें मिन प्रतिवादीगण के खेत में ढाणी बनना पाया गया था वादीगण झगडालु व्यक्ति है जो मिन प्रतिवादीगण को तंग परेशान करने के लिये झगडा करता रहता है इसलिये 20 वर्ष पूर्व के रिहायश को मिथ्या सीमाज्ञान की रिपोर्ट की पालना में न्यायालय हाजा से वादी करवा पाने का अधिकारी नही है वादी वाद भूमि का किसी श्रेणी का टिनेन्ट नही है इसलिय वादी का वाद संधारण योग्य नही है

वादी ने पटवारी हल्का की एकपक्षीय रिपोर्ट के आधार पर बेदखली का वाद पेश किया गया है जबकि पटवारी हल्का ने रिपोर्ट तैयार करते समय या मौका देखते समय या सीमाज्ञान करते समय किसी प्रकार की कोई सुचना नही दी गई ना ही पडोसी खातेदार काश्तकारों को सीमाज्ञान के समय बुलाया गया मनमाने ढंग से एक पक्षीय रिपोर्ट वादी के पक्ष में तैयार कर दी सीमाज्ञान रिपोर्ट पर पडोसी काश्तकारो एव प्रतिवादीगण के हस्ताक्षर भी नही है ना ही कोई फर्द मोका तैयार किया गया है पटवारी हल्का की रिपोर्ट जो एक पक्षीय तैयार की गई है को आधार मानकर प्रतिवादी का उसकी खातेदारी भूमि से बेदखल नही किया जा सकता है पटवारी हल्का के सीमाज्ञान रिपोर्ट के आधार पर वादी किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है वादी का वाद खारिज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया तनकीवार विवेचन निम्नप्रकार से हैः–

तनकी न. 1– आया कि खाता संख्या 138/102 रोही मौजा भगवासर के खसरा न0 585 की 2.01 बीधा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के द्वारा जबरिया कब्जा किया गया है कब्जा से उसको बेदखल किया जावे।?

वादी

इस तनकी को साबित [illegible] था वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य में रोही मौजा भगवानसर के [illegible] एक्सपी – 1 , व नकल सीमाज्ञान आदेश दिनांक 29.0[illegible]2012 [illegible] प्रस्तुत की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:47:34 IST
Reason: SelfAttested

वादी का कथन है कि वादी [illegible] खातेदारी भूमि रोही मौजा भगवानसर के खसरा न0 585 की 2.01 बीधा भूमि पर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 ने कब्जा किया गया है जो सीमाज्ञान रिपोर्ट से प्रमाणित है इसलिये प्रतिवादीगण को खसरा न0 585

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

की 2.01 बीधा भूमि से बेदखल कर कब्जा वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 को दिलवाया जावे।

प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 का कथन है कि सीमाज्ञान की रिपोर्ट मिथ्या व बिना सुने मनमाने ढंग से तैयार की गई है प्रतिवादीगण का रिहायशी मकान 20 वर्षो पूर्व बनाये गये है

वादी एव प्रतिवादीगण को मुख्य विवाद रोही मौजा भगवानसर के खसरा न0 585 की 2.01 बीधा भूमि के सम्बध में है वादी का कथन है कि वह वादी की खातेदारी भूमि है जिस पर प्रतिवादीगण ने कब्जा किया गया है जिसके साक्ष्य के रूप में सीमाज्ञान की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है तथा प्रतिवादीगण का कथन है कि सीमाज्ञान की रिपोर्ट एकतरफा वादी का फायदा पहुचाने के लिये तेयार की गई है जिसके सम्बध में प्रतिवादीगण या अन्य पडोसीयों को सुचना नही दी गई है तथा पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर प्रतिवादीगण को बेदखल नही किया जा सकता है।

हमने पत्रावली में उपलब्ध पटवारी हल्का की सीमाज्ञान की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया सीमाज्ञान रिपोर्ट में अकित किया गया है कि पटवारी हल्का के द्वारा किस भूमि का सीमाज्ञान करवाया गया है तथा सीमाज्ञान रिपोर्ट किसके सामने तैयार की गई है उनके हस्ताक्षर करवाये गये है।

पटवारी हल्का की रिपोर्ट में कही भी यह अंकित नही किया गया है उसके द्वारा किन किन खसरो की भूमि का सीमाज्ञान करवाया गया है तथा कहा पर निशानदेही दी गई है पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में मात्र खसरा न0 585 की 2.01 बीधा भूमि का सीमाज्ञान करवाया गया है अंकित किया गया है जिसके आधार पर यह नही माना जा सकता की प्रतिवादगण ने खसरा न0 585 की 2.01 बीधा भूमि पर कब्जा किया गया है पटवारी हल्का के द्वारा तो जमाबन्दी में दर्ज भूमि का विवरण अपने सीमाज्ञान प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया है पटवारी हल्का के द्वारा सीमाज्ञान रिपोर्ट का अधुरा विवरण दर्ज किया गया है जो मात्र उपचारिता पूर्ण करने की श्रेणी में आता है।

सीमाज्ञान के सिद्वान्त /दायित्व के अनुसार जब किसी काश्तकार के द्वारा अपनी खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो तहसीलदार द्वारा आस पडोस के काश्तकारो का विवरण लिया जाता है तथा निर्धारित प्रक्रिया की पालना की जाकर पटवारी हल्का का सीमाज्ञान करने का आदेश पारित किया जाता है पटवारी हल्का उक्त आदेश की पालना में जिस भूमि का सीमाज्ञान करवाया जाना है के आस पडोस के काश्तकारो को सूचित किया जाता है कि उसके द्वारा किस दिन समय पर उक्त भूमि का सीमाज्ञान करवाया जावेगा निर्धारित समय पर सभी पक्षकारों की उपस्थिति में विस्तृत सीमाज्ञान करवाया जाकर सभी पक्षकारों को सन्तुष्ट किया जाकर उपनी रिपोर्ट सभी काश्तकारो के समक्ष तैयार की जाकर उपस्थित काश्तकारों के सीमाज्ञान से सन्तुष्ट होने के हस्ताक्षर करवाये जाते है तत्पश्चात अपनी रिपोर्ट तहसील रिपोर्ट में प्रस्तुत की जाती है ।

हस्तगत प्रकरण में उक्त प्रक्रिया की पालना नही की गई है मात्र वादी के समक्ष उक्त भूमि का सीमाज्ञान करवाया जाना प्रतीत होता है वह भी पूर्ण प्रक्रिया का पालना किये बिना तैयार की गई है जिसक आधार पर वादी ने यह बदेखली का वाद पेश किया गया है मात्र पटवारी हल्का की अधुरी रिपोर्ट के आधार पर वादी किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अ[illegible] नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:47:34 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादीगण का कथना है कि [illegible] मकान काफी वर्ष पूर्व बनाये गये है अपने कथनो के समर्थन में फोटो [illegible]यशी मकान की प्रस्तुत की गई है फोटो के अवलोकन से रिहायशी मकान पुराने [illegible] हुए प्रतीत होते है तथा वादी के साथ प्रतिवादीगण ने जरिये करने के दौरान भी वादी ने रिहायशी मकान बने होना स्वीकार

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

किया है किन्त तीन चार वर्ष पहले अर्थात अब प्रतिवादी के मकान बने हुए 15 साल हो चुके है।

उक्त विवेचन से पूर्णत्या स्पष्ट हो चुका है कि वादी केवल पटवारी हल्का की अधुरी सीमाज्ञान रिपोर्ट के आधार पर प्रतिवादीगण के विरूद्व किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है पटवारी हल्का की सीमाज्ञान रिपोर्ट के अलावा अन्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया जिससे प्रतिवादीगण के द्वारा वादी की भूमि पर कब्जा किया जाना साबित होता हो अतः तनकी न0 1 साक्ष्य सबुतों के आधार पर साबित नही होने के कारण वादी के विरूद्व तय की जाती है

तनकी न 2– आया वादी प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह जबरिया वादी की कृषि भूमि में दखलन्दाज नही करे तथा पूर्व में किये गये सीमाज्ञान की पालना करे।

इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था तनकी न. 1 के विवेचन में विवेचन किया जा चुका है कि पटवारी हल्का की अधुरी रिपोर्ट जो प्रतिवादीगण व अन्य काश्तकारो की अनुपस्थिति में तैयार की गई है के आधार पर किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है यदि वादी को प्रतीत होता है प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने उसकी भूमि पर कब्जा किया हुआ है तो वह तहसीलदार नोहर के समक्ष अपनी भूमि का सीमाज्ञान करने हेतु टीम का गठन करवाकर अपनी भूमि का सीमाज्ञान करवा सकता है पूर्ण प्रक्रिया के अनुसार भूमि का सीमाज्ञान होने पर यदि प्रतिवादीगण वादी की भूमि कब्जा पाया जाता है तो वह प्रथम तहसीलदार को कब्जा मुक्त करवाने का प्रार्थना पत्र पेश करे तत्पश्चात इस न्यायलय में कार्यवाही कर सकता है जिसके लिये वाद स्वतन्त्र है अधुरी पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर वादी किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है तनकी न0 2 साक्ष्यों के आधर पर साबित नही होने के कारण वादी के विरूद्व तय की जाती है।

तनकी न. 3 आया कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के द्वारा सीमाज्ञान की पालना नही करने के कारण उनके खिलाफ कानुनी कार्यवाही की जावे। ?

इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था तनकी न0 1 ,2 के विवेचन में विवेचन किया जा चुका है कि पटवारी हल्का की अधुरी रिपोर्ट के आधार पर वादी किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है अन्य कोई साक्ष्य वादी ने प्रस्तुत नही किये जिससे प्रतिवादीगण द्वारा वादी की भूमि पर अतिक्रमण किया गया हो मात्र कथनों के आधार पर वादी कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है तनकी न. 3 भी वादी के द्वारा साबित नही करने के कारण वादी के विरूद्व तय की जाती है।

तनकी न. 4 आया कि विवादित भूमि पर प्रतिवादीगण के मकानात निर्माण किये हुए है तथा पटवारी हल्का से मिली भगत करके वादीगण को फायदा पहुचाने कि नियत से बिना सुचना दिये उक्त पैमाईश की गई है जो गलत है।?

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था

प्रतिवादीगण ने अपने कथनों के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में रजिस्टर फहरिस्त रोही मौजा भगवानसर के सम्वत 2063 ईएक्सडी – 1, 2 व फोटो वाद स्थल ईएक्सडी – 3 से 7 प्रस्तुत की गई है।

प्रतिवादीगण का कथन है कि उसके द्वारा वादी की भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नही किया गया हे वादी के कथनानुसार जिस भूमि पर अतिक्रमण बताया गया है उस भूमि प्रति[illegible] हुई जो काफी वर्षो पूर्व के है

प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत [illegible] होता है कि वादी के वाद दायर करने के काफी [illegible] है वादी ने इतने वर्षो के वाद बेदखली का वाद पेश किया जाना सन्देहास्पद्र प्रतीत होता है।

प्रतिवादीगण ने अपने कथनों के समर्थन में न्यायायिक दृष्टान्त आरआरटी 2016 पेज 277 , आरआरडी 2014 पेज 472 , आरआरडी 2014 पेज 268 , आरबीजे

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:47:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

2011 पेज 703 प्रस्तुत किये गये जिसके अनुसार पटवारी हल्का के आधार पर किसी प्रकार की घोषणा नही की जा सकती है।

तनकी न. 1 ,2 में विवेचन किया जा चुका है कि पटवारी हल्का की सीमाज्ञान रिपोर्ट अधुरी एव अपूर्ण है जो सम्बधित पक्षकारों की अनुपस्थिति में बनाई गई जिसके आधार पर वादी किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है अतः तनकी न. 4 प्रतिवादीगण के पक्ष मे तय की जाती है।

तनकी न. 5 आया कि वादी दावा अन्दर मियाद नही है

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर था तनकी न. 1 ता 4 के विवेचन में ही तनकी न0 5 का सार समाहित होने के कारण तनकी न. 5 प्रतिवादी के पक्ष में तय की जाती है।

तनकी न 6 आया कि सीमाज्ञान की पालना का अधिकार न्यायालय हाजा को नही है दावा खारिज योग्य है।?

इस तनकी का भार प्रतिवादी पर था तनकी न. 1 ता 4 के विवेचन में ही सार समाहित है पृथक से विवेचन का कोई औचित्य नही है।

उपरोक्त तनकीवार विवेचन अनुसार वादी का वाद पटवारी हल्का की सीमाज्ञान की रिपोर्ट पर आधारिज है वादी ने अपने वाद को साबित करने के लिये अन्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किये गये है तनकीवाद विवेचन में विवेचन किया जा चुका है मात्र पटवारी हल्का की अधुरी एव अपूर्ण रिपोर्ट के आधार पर किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है वादी का वाद साक्ष्य सबुतों के अभाव में साबित नही होने के कारण खारिज योग्य है

अतः वाद वादी साक्ष्य सबुतो के अभाव में साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 03/06/2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:47:34 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6—7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :—

1. अमरसिह पुत्र नारायण जाति जाट साकिन भगवानसर तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1 रणजीत पुत्र बालूराम जाति जाट निवासी भगवानसर तहसील नोहर।
2 लालचंद पुत्र बालूराम जाति जाट निवासी भगवानसर तहसील नोहर।
3 मनीराम पुत्र बालूराम जाति जाट निवासी भगवानसर तहसील नोहर।

असल प्रतिवादीगण

4 रधुवीर पुत्र नारायण जाति जाट निवासी भगवानसर तहसील नोहर।
5 तीजा बेवा नारयण जाति जाट निवासी भगवानसर तहसील नोहर।
6 सरोज पत्नी रतीराम जाति जाट निवासी भगवानसर तहसील नोहर।
7 स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

तरतीबी प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 221 सन 2012 निर्णय दिनांक— 03/06/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एव अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो के अभाव में साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 03/06/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:47:34 IST
Reason: SelfAttested